Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी मुकाम तहसीलदार बावड़ी

श्रीमति चंचल देवी बनाम सरकार जरिये सन्

किस्म मुकदमा नं. 124/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2021	वादी/प्राथी/अपीलान्ट ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/अपील विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पाडेन्टस के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पाडेन्टस को तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 15/2/2022 को पेश हो सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
15/2/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार हेतु/अवकाश पर हैं। पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 17/2/2022 को पेश हो।	
17/2/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया वकील उप.। प्रार्थिया वकील ने Form-3 प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार बावड़ी को जांच रिपोर्ट वास्ते तहरीर जारी हो। पत्रावली इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 22.2.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
22.2.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील उप. तहसीलदार बावड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त। जो शामिल की गयी। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:53:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर निवेदन किया कि इसी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने पूर्व में एक राजस्व प्रार्थना-पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर रखा है जो प्रार्थना-पत्र संख्या 14/2019 ब उनवान-चंचल देवी बनाम तहसीलदार के विरुद्ध अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद गौड़ द्वारा प्रस्तुत कर रखा है जिसमें पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब की स्टेज पर विचारण में चल रहा है दोनों प्रार्थना-पत्र एक ही प्रकृति के है इसलिए एक ही प्रकृति के प्रार्थना-पत्रों का अलग-अलग विचारण करना कानूनी रूप से बाधित है वर्तमान प्रार्थना पत्र संख्या 125/2021 ब उनवान-चंचल देवी बनाम सरकार मे तहसीलदार बावड़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत हो चुका है इसलिए पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 14/2019 को प्रार्थना पत्र 125/2021 के साथ कंसोलिडेट किया जावे। वकील प्रार्थी श्री माणकराम राम माली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पत्रावली कंसोलिडेट बाबत स्वीकार किया [illegible] पूर्व में चल रही पत्रावली [illegible] उनवान चंचल देवी बनाम तहसीलदार बावड़ी को प्रार्थना-पत्र 125/2021 ब उनवान-चंचल देवी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:53:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बनाम तहसीलदार बावड़ी को कंसोलिडेट किया जाता है। पूर्व में प्रस्तुत पत्रावली 14/2019 उक्त पत्रावली के साथ संलग्न है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बावड़ी द्वारा जवाब प्राप्त हो चुका है अब पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर न्यायोचित निर्णय पारित फरमाया जावें। वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने दौरान बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि ग्राम विनायकपुरा, तहसील – बावड़ी के खसरा संख्या 652/1 रकबा 11.9547 हैक्टयर की भूमि आयी हुई है जिसमें प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया का हिस्सा 295/1577 वां हिस्सा निहित है जिसका विरासत नामान्तरण स्वीकृत करते समय प्रार्थीया का गट्टू उर्फ लादु कंवर दर्ज किया गया जो गलत नाम है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक एवं सरकारी दस्तावेजों के अनुसार चंचल देवी है अतः प्रार्थीया का नाम दुरुस्त किया जावें। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली में सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार बावड़ी की ओर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:53:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से प्रस्तुत हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम विनायकपुरा के खसरा संख्या 652/1 रकबा 11.9489 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थिया गट्टू उर्फ लाडकंवर पुत्री शंकरराम उर्फ शंकरसिंह के स्थान पर चंचल देवी पुत्री श्री शंकरराम उर्फ शंकरसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद करें। तहसीलदार बावड़ी को ~~पालना~~ पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली मौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:53:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner